

तारीख हुक्म	
22/12/23	<p>उत्तरपक्ष सुपुत्रा बहम सुनी गड्डी बहमीमदार नावां से बंटवाए पत्राव मंगलवाने हुं (रहमत) प्राथमिक डिप्टी मजिस्ट्रेट हुक्म से लिखाया जसका तसे इजलास हुनाया गया बहमीमदार नावां से बंटवाए पत्राव मंगलवाने हुं बहमीमदार जाती होकर पत्रावली दि 16/11/24 को पेश हो <u>OK</u></p>
16/11/24	<p>उत्तरपक्ष उपर PD प्राप्त नहीं इजलास होकर पत्रावली दि 14/12/24 को पेश हो <u>OK</u></p>
14/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप पीठासीन अधिकारी सहोदर राजकीय कार्य से बाहर द्वारे में पत्रावली दिनांक 7/13/24 को को पेश हो। <u>OK</u></p>
7/13/24	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी ने सांप्रत पेश कर निवेदन किया कि दौरान वाद पत्र उपर वाद पत्र में वर्णित शूरी में बदलाव होने से वाद पत्र की विषय वस्तु परिवर्तित हो चुकी है जिससे उपर वाद पत्र का निस्तान होना संभव नहीं है। इसलिए उपर वाद पत्र को नए वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ अति विशेष खोज किया जावे। भ्रतः वादीगण का वाद पत्र अधिवक्ता वादी के निवेदन पर नए वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ अति विशेष खोज किया जाता है पत्रावली के तम अनुमा होकर नम्बर से कम हो व दायित्व रपार हो <u>OK</u></p>

उपरखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुशीन)